न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
19/2025	FSS ACT	08.05.2025	26.09.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

—आवेदक

बनाम

1. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू लाल, टांडे का पुरा, तहसील मनियां, जिला धौलपुर

—अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय **दिनांक 26.09.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 20.10.2024 को दोपहर 11:00 एएम बजे दूध विक्रेताओ की चैंकिग के दौरान टांडे का पुरा तहसील मनियां पर पहुंच, गाडी संख्या यूपी 80 एफपी 3137 मैक्स पिकअप टैंकर को रोककर, मौजूदा व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे, तो उसने अपना नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र बाबू लाल, टांडे का पुरा, तहसील मनियां, जिला धौलपुर, एवं लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहां तो उन्होने खाद्य अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या न होना जाहिर किया। निरीक्षण के दौरान टैंकर में लगभग 500 लीटर मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस मिश्रित दूध में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मिश्रित दूध का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा। और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता के उक्त 500 लीटर मिश्रित दूध में से 02 लीटर मिश्रित दूध वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता राजेन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल को रू. 120/– (एक सौ बीस रूपये) नगर देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को विक्रेता एवं गवाहन को दिखाकर खरीदशुद्धा मिश्रित दूध को बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं 40–40 बूंद फॉर्मलिन डाल कर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लैबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3256 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, फॉरमलिन आदि दर्ज कर आवेदन द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3256 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर मैने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर दो तीन व्यक्ति खड़े हुये थे जिनको गवाह बनने को कहा गया तो उनहोने गवाह बनने से मना कर दिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांघ कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म सख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2025 / 46 दिनांक 26.02.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस / 818 / एक्ट / 2024 / 842 दिनांक 28.10.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिश्रित दूध Substandard प्रकृति कर पाया गया मूल जांच रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी ने जबाब पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जबाव में कहा अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खादय पदार्थ में कोई मिलावट नही कि है फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनर्रावृत्ति नही होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR,(RAJASTHAN).** की **REPORT NO.LS/818/Act/2024/842 DATE 28-10-2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

"Opinion- The sample of **"Mixed Milk''** bring Code No- and Sr. No. **D-3256** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer,Dholpur is **Sub-Standard** as it does not conform to the Prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Act,2006.

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैडर्ड मिश्रित दूध का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड मिश्रित दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र बाबू लाल पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 9100/—रुपये (नौ हजार सौ रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
22/03/25
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)